

रेजिडेंस कार्ड अनिवार्यतः साथ में रखना

दीर्घकालिक निवासियों के लिए
रेजिडेंस कार्ड हमेशा अपने साथ
रखना अनिवार्य है।



सही



घर से बाहर जाते समय अपना
रेजिडेंस कार्ड साथ में लेकर जाना



गलत



फोटो या फोटो कॉपी
के रूप में मान्य नहीं है



पुलिस द्वारा मांगे जाने पर रेजिडेंस कार्ड
दिखाना अनिवार्य है।

रेजिडेंसकार्ड साथ में ना होने पर दंड

2 लाख तक का जुर्माना

आधार: आप्रवासन नियंत्रण और शरणार्थी मान्यता अधिनियम
अनुच्छेद 23 की धारा 2 तथा अनुच्छेद 75-3।



ध्यान दें !

- ✓ बाहर जाते समय रेजिडेंस कार्ड साथ रखें!
- ✓ इसे अपने बटुए में रखें!
- ✓ खो जाने पर तुरंत सूचना दें!



साप्पोरो क्षेत्र उराकावा पुलिस स्टेशन